रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082026-275746
CG-DL-E-25082026-275746

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4521] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948
No. 4521] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2026

का.आ. 4706(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 (46ए) कुछ निकायों या प्राधिकरणों या बोर्डों या ट्रस्टों या आयोगों की निर्दिष्ट आय की छूट के लिए प्रदान की गई है, जो कि उस धारा के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है;

और जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(1) द्वारा निरस्त कर दिया गया था;

और जबकि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ए) और (बी), अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रदान करती है कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसके बाद 1961 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) के निरसन के बावजूद और उसकी उप-धारा (4) के अधीन, कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा-

(i) 1961 के अधिनियम के प्रावधानों का पिछला संचालन और कोई आदेश या उसके तहत विधिवत किया गया या पीड़ित कुछ भी; या

(ii) 1961 के अधिनियम या उस अधिनियम के तहत आदेशों के तहत प्राप्त, अर्जित या किए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व;

और जबकि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(c) में प्रावधान है कि 1961 के अधिनियम के प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के शुरू होने की तारीख को लंबित किसी भी कार्यवाही पर और 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद शुरू की गई किसी भी कार्यवाही पर लागू रहेंगे (नोटिस सहित, 1 अप्रैल, 2026 से पहले शुरू होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना, सुधार, जुर्माना, संदर्भ, संशोधन और अपील) और ऐसी कार्यवाही 1961 के अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;

और जबकि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ई) में प्रावधान है कि किसी भी आयकर प्राधिकरण या निरस्त आयकर अधिनियम, अपीलीय न्यायाधिकरण, या किसी भी अदालत के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष इसके शुरू होने की तारीख को लंबित कोई भी कार्यवाही, आवेदन, अपील, संदर्भ या संशोधन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, जारी रखा जाएगा और निपटाया जाएगा जैसे कि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया था;

अब, इसलिए, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ए) से (सी) और (ई) के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46ए) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 की संख्या 14) के तहत गठित "महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग" (पैन: AAAGM0004R) को अधिसूचित करती है।

यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2025-26 से संबंधित आकलन वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी होगी, इस शर्त के अधीन कि निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46A) में निर्दिष्ट एक या अधिक उद्देश्यों के साथ विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 की संख्या 14) के तहत गठित एक आयोग बना रहेगा।

[अधिसूचना सं. 116 /2026/फा. सं. 195/13/2025-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव (बोर्ड या आयकर विभाग के समक्ष दायर आवेदन के वर्ष से) देने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।